भाग–III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मई, 2022

संख्या का०आ० 21/के०अ० 29/2005/धा० 25/2022.– प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009, के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाये जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या लोप किया गया है, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29);

(ख) **"अभिकरण"** से अभिप्राय है, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण;

(ग) **"नियंत्रक प्राधिकारी"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसे दिया गया है;

(घ) **"प्ररूप"** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ङ) **"अनुज्ञप्ति"** से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित, शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होगे जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

अनुज्ञपप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन।

3. (1) प्रत्येक अभिकरण जब अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप I में आवेदन करती है, तब अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप II भी संलग्न करेगा।

(2) यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म या व्यक्तियों की कोई संस्था है, तो प्ररूप I में किए गए आवेदन के साथ प्ररुप– II भी कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक मानो वे भी आवेदक थे, की और से लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में अंतर्वलित उपबंधों के संबंध में ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए, प्ररूप III में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I, प्ररूप II तथा प्ररूप III की प्राप्ति पर, आवेदन की विषय वस्तु और आवेदक की विशिष्टियों के ब्यौरे के सत्यापन के लिए ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के उद्देश्य के लिए अपराध और आपराधिक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर–संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करेगा ।

(5) जब कभी किसी आवेदक का पूर्ववृत्त पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिया गया हो और अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो, तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत्त का सत्यापन करे बशर्ते कि अनुज्ञप्ति, जिसके लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है, वैधता की अवधि के भीतर हो ।

(6) प्ररुप I के साथ, संबंधित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी, जहां आवेदन किया जा रहा है, को भुगतान योग्य अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथा विर्निदिष्ट फीस के संदाय को दर्शाते हुए ड़िमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लगाया जाएगा।

(7) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से उसे भेजा जाएगा।

(8) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन को उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की तिथि, उस पर दर्शाने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी वह आवश्यक समझे और उक्त अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना के पश्चात्, प्ररूप IV में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगाः

परंतु यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली गई है, तब अनुज्ञप्तिधारी को प्रशिक्षण लेनें की आवश्यकता नहीं होगी ।

(10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाए गए पते पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर का सत्यापन करेगा।

(11) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए आवेदन में यथा उल्लिखित संबंधित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्रधान कार्यालय को अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति जारी करने के पंद्रह दिन के भीतर डाक द्वारा परिदत्त करवायेगा, जिसे वह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।

(12) अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की दशा में, अस्वीकृति का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ,–

(क) आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ;

(ख) आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति को नामंजूर किया गया है, आदेश में उल्लिखित न किए गए हों ।

(13) नियंत्रक प्राधिकारी, सभी परिपेक्षों से आवेदन के पूर्ण होने की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर प्ररूप I पर आदेश पारित करेगा।

अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की शर्तें।

4. (1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, यथा विहित, प्राइवेट सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण उसके द्वारा नियत किए गए समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्य क्रम तैयार करेगा।

(3) प्रशिक्षण कम से कम छह कार्य दिवस का होगा । प्रशिक्षण में मोटे तौर पर निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात्;–

(i) वर्तमान सुरक्षा परिदृश्यः
- (क) वीआईपी सुरक्षा;
- (ख) आंतरिक सुरक्षा;
- (ग) संस्थागत सुरक्षा;

(ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कार्य पद्दति
- (क) अग्नि शमन्;
- (ख) आपदा/आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल्;
- (ग) सुरक्षा कर्तव्य;
- (घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच्;
- (ङ) सूचना सुरक्षा्;
- (च) अभिगम नियंत्रण्;
- (छ) विस्फोटक आई.ई.डीज्;
- (ज) एंटी सबोटेज चेक्स (एएससी)्;
- (झ) सुरक्षा संबंधी उपकरण;
- (ञ) संसूचना उपकरण;
- (ट) गश्त लगाना्; तथा
- (ठ) चौकी ड्यूटी;

(iii) विधिक उपबंधः
- (क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (ख) सुसंगत श्रमिक विधियां;

(iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंधनः
(क) वर्दी;
(ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण;
(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दस्तावेजों और रिकॉर्ड का रखा जाना;
(घ) डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल;
(v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफ़ेसः
(क) जनसाधारण के साथ इंटरफेस;
(ख) पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क;
(vi) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक – अनुबन्ध–क में यथा विनिर्दिष्ट क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम)।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता–पिता का नाम, जन्म की तिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार के लिए पता और प्रधान वृत्ति को सूचित करेगा ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पते में परिवर्तन से सम्बन्धित या प्रबंधन में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध या अभिकरण द्वारा नियुक्त या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरूद्ध विरचित किए गए किसी आपराधिक आरोप के बारे में तत्काल सूचना देगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा जहॉ व्यक्ति, जिसके विरूद्ध आरोप लगाया गया है, निवास करता है ।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानकों और इन नियमों में यथाविहित, उनके प्रशिक्षण की शर्त, जिसके अधार पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(8) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी ।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के छह मास के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा।

(10) क्रियाकलापों के आरंभ किए जाने में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित और नियम 10 के अनुसरण में, कार्यालय परिसर की स्थापना और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सम्मिलित होगी।

5. (1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप II और प्ररूप III के साथ प्ररूप I में, उसकी वैधता की अवधि के अवसान होने की तिथि से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का पालन करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा । अनुज्ञप्ति का नवीकरण।

(2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फर्म या व्यक्तियों की कोई संस्था है, तो प्ररूप I में किए गए आवेदन के साथ प्ररुप II भी कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक मानों वे भी आवेदक थे, के लिए साथ लगाया जाएगा।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त का उसी रीति में सत्यापन करेगा जैसा कि नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित है।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी प्ररूप I में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना के पश्चात् प्ररूप IV में अनुज्ञप्ति के नवीकरण को अनुदत्त करेगा ।

(5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त न होने की दशा में, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण को अननुज्ञप्त अभिकरण माना जाएगा ।

(6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वैसी ही होगी, जैसी नियम 3 के उपनियम (6) में अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए यथा उल्लिखित है।

(8) उपनियम (1) में निर्धारित अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदनों पर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर प्ररूप I में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर आदेश पारित करेगा ।

(10) नवीकृत अनुज्ञप्ति की वैधता, पूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से गिनी जाएगी और उसके नवीकरण की तिथि पर ध्यान दिए बिना पांच वर्ष की अवधि तक होगी। यदि विद्यमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निर्णय किया जाता है, तो बीच की अवधि वैध अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जाएगी।

(11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई देरी के लिए दायी नहीं होंगे, जिसमें सिविल या सैनिक प्राधिकरण के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, उपद्रव, दैवीकृत्य तक सीमित नहीं हैं, शामिल हैं।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें।

6. अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुदत्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी की अधिकारिता में अपने कारबार के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा;

(ii) आवेदक अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए इन नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा;

(iii) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा;

(iv) आवेदक का अपराधिक पूर्ववृत्त न हो, जो अपराध और आपराधिक डाटा से सत्यापित किया जा सकता है ।

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन।

7. (1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पहले स्वयं को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीके से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के बारे में संतुष्ट करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र पर निर्भर होते हुए:

परंतु चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र वैध हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्त्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और आपराधिक इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अभिगम द्वारा जैसे अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर–संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) ।

(2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त होने के लिए ईच्छुक व्यक्ति, अभिकरण को प्ररूप V दाखिल करेगा। इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों से संबंधित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्ररूप VI में एक शपथपत्र भी दाखिल करेगा।

(3) राज्य सरकार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की गई फीस की स्वीकृति करने की व्यवस्था करेगी ।

(4) प्राधिकारी, जिसको आवेदन दिया गया है, सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत प्ररूप की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर जारी की गई हो ।

(5) एक बार जारी की गई चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट नियोजक की प्रास्थिति में परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी पांच वर्ष तक वैध रहेगी ।

(6) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन के आधार पर प्ररूप VII में चरित्र और पूर्ववृत प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही वह व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न रहे।

सुरक्षा प्रशिक्षण।

8. (1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम बीस दिन की अवधि में दिया जाने वाला न्यूनतम सौ घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा साठ घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों को केवल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम चालीस घंटे कक्षा में शिक्षण और सोलह घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो सात कार्य दिवस में होगा ;

(2) प्रशिक्षण में निम्न विषय शामिल होंगे ;

(क) सार्वजनिक रुप से आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना ;

(ख) शारीरिक सक्षमता प्रशिक्षण ;

(ग) शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा ;
(घ) अग्निशमन ;
(ङ) भीड़ नियंत्रण ;
(च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच ;
(छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण पत्रक में आते हैं ;
(ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान ;
(झ) प्राथमिक चिकित्सा ;
(ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन ;
(ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);
(ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना–रखना और संचालन (वैकल्पिक) ;
(ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं) ;
(ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज ;
(ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान ;
(त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण) ; और
(थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए) ।

(3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा ।

(4) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्ररूप VIII में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।

(5) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान से गार्ड/पर्यवेक्षक को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अन्य राज्य भी स्वीकार करेंगे ।

(6) नियंत्रक प्राधिकारी, समय–समय पर, स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा। सामान्यतः ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।

(7) सभी प्रशिक्षण अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति मे सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे।

(8) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं अपने को पदाभिहित कर सकेंगे कि कोई भी अभिकरण के सशस्त्र सेना, अर्ध सैनिक बल या राज्य पुलिस बल के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षको को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित करेगा।

(10) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति का जारी रखने या अन्यथा से पुनर्विलोकन कर सकता है, जिन्होंने अपनी नामावली पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की शर्तों का अनुपालन न किया हो।

सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानदंड.।

9. (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या नियोजित होने के लिए अर्हक होगा यदि वह नीचे दिए गए शारीरिक मानकों को पूरा करता है, अर्थात्:–

(i) कद 160 सेंटीमीटर (महिला 150 सेंटीमीटर), वजन, कद–वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 सेंटीमीटर जो 04 सेंटीमीटर फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है);

(ii) नेत्र दृष्टि –दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए ;

(iii) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त ; छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य ;

(iv) श्रवणः दोष से मुक्त हो; सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो;

(v) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो ।

(2) अभ्यर्थी किसी छुआ–छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो । वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए ।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक बारह मास पश्चात्, उसकी अंतिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध।

10. (1) पंद्रह से अनधिक प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा ।

(2) यदि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो, तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा ताकि कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

अपील और प्रक्रिया।

11. अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्ररूप IX में की जाएगी और उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे राज्य सरकार के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिकी या डिजीटल प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा या पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा ।

अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर।

12. अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप X में रखा जाएगा।

फोटो पहचान पत्र।

13. (1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र प्ररूप XI में होगा।

(2) फोटो पहचान पत्र में पूरे चेहरे का रंगीन फोटो, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यष्टि की कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है ।

(3) फोटो पहचान पत्र में व्यक्ति की अभिकरण में पद और वह तिथि जिस तक फोटो पहचान पत्र वैध है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी ।

(4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा ।

(5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान पत्र को उसे जारी करने वाले अभिकरण को तब लौटा दिया जाएगा जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और नियोजन में नहीं रहता है या उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है ।

(6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाने या चोरी हो जाने की सूचना उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाई जाएगी, जिसने उसे जारी किया है ।

अन्य शर्तें।

14. (1) इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार्य करे, या न करे, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को,–

(क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज ;

(ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज ;

(ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बॉयीं जेब में रखी जाएगी ;

(घ) फीते और सूराख सहित जूते ;

(ङ) सिर पर पहनने की टोपी, जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है,

जारी करेगा और उन्हें पहनना बाध्यकर करेगा ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे, जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करें । विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोडने में बाधा हो।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट–बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा ।

(4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहजदृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

अनुबन्ध–क

[देखिए नियम 4 (3) (vi)]

प्राईवेट सुरक्षा कार्मिक– क्या करना है और क्या नही करना है (आचरण नियम)

क्या करना हैः–

1. ड्यूटी के दौरान इस पुस्तिका/पैम्फलेट को अपने पास रखें।
2. हमेशा कंपनी/विभाग की नीति और आदेशों का पालन करें।
3. अपनी उचित वर्दी पहनें।
4. आपकी वर्दी साफ–सुथरी और ठीक से इस्त्री की हुई होनी चाहिए।
5. आपके जूते साफ–सुथरे और पॉलिश्ड हाने चाहिए।
6. रोजाना शेव करें/दाढ़ी और मूंछें काट कर रखें।
7. सुनिश्चित करें कि आपके बाल उचित तरीके से कटे हों।
8. यदि आपको वर्दी जारी नहीं की जाती है तो सिविल ड्रेस ठीक से पहनें।
9. ड्यूटी के दौरान अपनी वर्दी पर अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करें।
10. समय के पाबंद रहें।
11. सतर्क और चौकस रहें।
12. सभ्य और विनम्र रहें।
13. उत्साही बनें।
14. सभी ग्राहकों/आगुंतकों का सम्मान करें।
15. मेहमानों का अभिवादन करें और उन्हें दोस्ताना तरीके से जवाब दें।
16. खुद को स्वस्थ और फिट रखें।
17. क्रोधित ग्राहक के साथ शांत रहें।
18. महिला ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें।
19. अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को जानें।
20. किसी अप्रत्याशित या आपातकालीन स्थिति के बारे में अपने पर्यवेक्षक/वरिष्ठों को सूचित करें।
21. सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक पद पर अपने कर्तव्यों/जिम्मदारियों को जानते हैं।
22. ड्यूटी बदली उचित प्रकार से की जानी याहिए।
23. सहयोगी बनें और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाएं।
24. किसी भी आपातकालीन डयूटी के लिए उपलब्ध और लचीले रहें।
25. डयूटी के दौरान हर घंटे साधारण स्ट्रैचिंग एक्सरसाइज करें।
26. अपने साथी की कार्यात्मक प्रक्रियाओं और प्रक्रिया के बारे में खुद को अपडेट रखें।
27. टेलीफोन पर बात करते समय शांत रहें।
28. अपने स्थान पर संवेदनशील क्षेत्रों, सुरक्षा खतरों और आपातकालीन निकास से अवगत रहें।
29. सुनिश्चित करें कि व्यवसायिक घंटों के बाद परिसर सुरक्षित हैं।
30. रात की ड्यूटी के लिए अपने साथ टॉर्च लेकर जाएं।
31. महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरों की एक सूची अपने पास रखें।
32. किसी आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयों से अवगत रहें।
33. यदि आवश्यक हो तो आपको पता होना चाहिए कि आगंतुकों की तलाशी और जांच कैसे की जाती है।
34. अपने क्षेत्र में कर्मियों और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखें।
35. वाहनों में छिपने के स्थानों के बारे में जागरूक रहें जिनकी जांच की जानी है।
36. अपने उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में नियमित रूप से पेट्रोलिंग करें।
37. सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र में सभी सुरक्षा गैजेट ठीक से काम कर रहे हैं।
38. सुरक्षा के किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ को दें।
39. सुनिश्चित करें कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आपकी पोस्ट में उपलब्ध है और आपात स्थिति में उपयोग किया जाना है।
40. सुनिश्चित करें कि आप अग्निशामक के प्रकार जानते हैं और आपात स्थिति में उनका उपयोग कैसे करें।

क्या नहीं करना है:–

1. जब तक आपके पर्यवेक्षक द्वारा या गश्त के लिए अनुमति न दी जाए तब तक अपना पद न छोडें ।
2. बिना अनुमति के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश न करने दें।
3. शराब/नशीले पदार्थों के प्रभाव में काम पर न आएं।
4. ड्यूटी के दौरान धूम्रपान न करें।
5. ड्यूटी के दौरान गम या तंबाकू न चबाएं।
6. ड्यूटी पर न सोएं।
7. ड्यूटी के दौरान अनावश्यक बातचीत में शमिल न हों।
8. बिना अनुमति के छुट्टी न लें।
9. ग्राहकों के साथ न ही बहस करें और न ही चिल्लाऐं।
10. ड्यूटी पर रहते हुए गैर जरूरी या गौण मामलों में व्यस्त न हों
11. अफवाह फैलाने वालों में शामिल न हों।
12. व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी की संपत्ति या सेवाओं का उपयोग न करें।
13. गार्ड पोस्ट में अपने दोस्तों/रिस्तेदारों का आतिथ्य न करें।

प्ररूप I

[देखिए नियम 3 तथा 5]

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने/अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी,

....

....

अद्योहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है

1. आवेदक का पूरा नामः
2. आवेदक की राष्ट्रीयताः
3. पुत्र/पत्नी/पुत्रः
4. निवास स्थान का पताः
5. पता, जहां आवेदक अपना अभिकरण आरंभ करने की इच्छा करता हैः
6. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नामः
7. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिरिक्त ब्यौरे (यदि लागू हों):
   (क) सीआईएन संख्याः
   (ख) ईएसआई संख्याः
   (ग) ईपीएफ संख्याः
   (घ) श्रम अनुज्ञप्ति संख्याः
   (ङ) श्रम पंजीकरण संख्याः
   (च) जीएसटी संख्याः
   (छ) कोई अन्य सूचनाः
   (ज) क्या अभिकरण के पास एफडीआई है (हां/नहीं): यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी देंः
      (i) एफडीआई का देश :..
      (ii) विदेशी शेयर धारक का नाम : ....
      (iii) विदेशी शेयर धारक का पता : ....
      (iv) निवेश का वर्ष : ....
      (v) शेयरों की संख्या : ....
      (vi) विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता :
      (vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे :
      (कृपया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)
8. अभिकरण के स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम और पताः

क्रम संख्या	प्रबंधन की किस्म (स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर–धारक, निदेशक, अध्यक्ष)	नाम	पता डीआईएन संख्या (यदि धारित हो)	पहचान का सबूत तथा संख्या
1	2	3	4	5

9. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार :

10. (क) क्या आवेदन के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या वह इसे आउटसोर्सिंग आधार पर लेगा ?

(ख) यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना दें :

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम : ....

प्रशिक्षण अभिकरण का पता : ....

प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे : ....

11. सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण

(क) डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी)

(ख) हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी)

(ग) माइन डिटेक्टर

(घ) अन्य उपकरण

(i) बेतार दूरभाष

(ii) अलार्म युक्तियां

(iii) बख्तरबंद वाहन

(iv) आयुद्ध

12. वर्दी की विशिष्टयां, जिसके अंतर्गत उसका रंग भी है (कृपया वर्दियों की रंगीन फोटो संबद्ध करें):

13. क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचालन करने की इच्छा रखता है ? यदि हां, तो जिलों का नाम

1. .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 ....

14. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन की इच्छा रखता है ? हां/नहीं

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

आवेदक का दूरभाष नंबर

आवेदन की तिथि

संलग्नक :

1. अभिकरण के परिसर का फोटो।

2. सभी प्रबंधकीय कार्मिकों की पहचान का सबूत।

3. प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हों)।

4. वर्दियों की रंगीन फोटो ।

5. ऊपर पैरा 7 में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों)।

6. चालू आय कर समाशोधन प्रमाणपत्र की प्रति ।

7. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथा विहित शपथ–पत्र।

8. अन्य संलग्नक।

प्ररूप II

[देखिए नियम 3 और 5(2)]

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

टिप्पण : यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म, व्यक्तियों की कोई संस्था हैं, तो यह प्ररूप कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक द्वारा भरा जाएगा, मानों वे भी आवेदक हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु		
प्ररूप संख्या	पुर्ववृत सत्यापन जारीकर्ता	तिथि

फीस राशि रु.........................नगद / डिमांड ड्राफ्ट .... बैंक का नाम...

डिमांड ड्राफ्ट संख्या ....जारी करने की तिथि ....

कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरे (सावधानः कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें । प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार को अनुज्ञप्ति अनुदत्त के लिए अनुपयुक्त ठहराया जाएगा)

1. आवेदक का (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) अंतिम नाम ....प्रथम नाम ....

2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है, तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें..................................
....

3. लिंग (पुरुष / महिला) ....

4. जन्म तिथिः ....

5. आधार संख्या...

6. पैन संख्या...

7. जन्म का स्थान : गांव / कस्बा...जिला..............................राज्य और देश...
....

8. पिता का पूरा नाम / विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) ....
....

9. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
....

10. यदि विवाहित है, तो पति / पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) ....
....

11. वर्तमान आवासीय पता, गली / सड़क संख्या, पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी देवें).........................
....
....
....दूरभाष संख्या / मोबाइल संख्या ....

12. उपर्युक्त पते पर किस तिथि से निवास कर रहे है, लिखिए : (तिथि / मास / वर्ष) ....
....

13. स्थायी पता गली संख्या/थाना–ग्राम और जिला (पिन कोड सहित)..

....

....

14. यदि आपने खाना (11) में दिए गये पते पर लगातार पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है, तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए।

दिनांक ....से..........................तक पता...

....

....

15. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आप जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो ....

16. अन्य ब्यौरेः

(क) शैक्षणिक अर्हताएं ;

(ख) पूर्व में यदि किस पद पर रहे हों, तो नियोक्ता का नाम और पता ;

(ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण ;

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिहन ;

(ङ) पिछले तीन वर्ष की आयकर विवरणी ;

क्रम संख्या	निर्धारण वर्ष	आईटीआर की प्रति संलग्न है (हां/नहीं)
1.	————————————	————————————————
2.	————————————	————————————————
3.	————————————	————————————————

(च) अधिनियम की धारा 6 के उपबंध सम्मिलित करते हुए शपथ–पत्र संलग्न हैः हां/नहीं

17. क्या आपने किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को पहले परिचालित किया था या इसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक या निदेशक थे ? यदि हां, तो अभिकरण का नाम, पता और इसकी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दीजिए।

....

....

18. क्या आप जन्म/विरासत/पंजीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं। यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख करे ....

19. क्या आपको भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या, और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न करें) ....

....

20. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और अपराध का विवरण दीजिए ....

....

....

21. स्वतःघोषणाः

मेरे द्वारा इस प्ररुप तथा संलग्नो में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक ....

स्थान ....

संलग्नकः

——

——

——

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररुप III

[देखिए नियम 3(2) तथा 5 (1)]

शपथ पत्र

मै ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/सुश्री ....

निवासी ....मैसर्स...(फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम)

स्थित..

(फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) का स्वत्वधारी/ भागीदार/निदेशक हूँ । मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि:

1. यह कि अभिसाक्षी भारत का नागरिक है।

2. यह कि अभिसाक्षी ने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली है।

3. यह कि स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशको के ब्यौरे (कृपया सभी भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे उपदर्शित करें) जो निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के नाम	फर्म/अभिकरण/कंपनी का पदनाम स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक	निवास का पता
1	2	3	4

4. यह कि अभिसाक्षी या किसी स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक को कंपनी के प्रोन्नत, गठित करने या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म/अभिकरण/कंपनी के संबध में कोई कपट या अपकरण) सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है ।

5. यह कि अभिसाक्षी या किसी स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक को किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है ।

6. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक –

(क) किसी संगठन या संस्था से संबंध नहीं रखते है, जिनको उनके क्रियाकलापों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया है; या

(ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

7. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नहीं गया है।

8. यह कि फर्म/अभिकरण/कंपनी भारत में पंजीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।

9. यह कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित प्राईवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।

10. यह कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 11 के अधीन यथा नियत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।

(i) विहित प्रशिक्षण, जिसे अनुज्ञाप्तिधारी को करना है;

(ii) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरें;

(iii) नियंत्रक प्राधिकारी को समय–समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता;

(iv) नियंत्रक प्राधिकारी को समय–समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राईवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरूद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता;

(v) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन कर सकता है और ऐसे प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण, यदि किसी अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, की अनुज्ञप्ति को जारी रखने बारे या अन्यथा से पुनर्विलोकन कर सकता है।

11. यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है ।

अथवा

यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीकृत किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है। (ब्यौरों को संलग्न करे)

12. यह कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का और प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार/द्वारा अधिसूचित सुसंगत नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे और .... मैसर्स ....नाम एवं शीर्षक वाले प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करेंगे ।

अभिसाक्षी

सत्यापन– मैं, ... इसके द्वारा, दिनांक .... को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि यह शपथ पत्र की उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें काई बात छिपाई नहीं गई है ।

अभिसाक्षी

टिप्पण:

(i) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है ।

(ii) बिंदु संख्या 9 अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुपालन से संबंधित है ।

(iii) बिंदु संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है ।

(iv) उन बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं ।

प्ररूप IV

[देखिए नियम 3(9)]

हरियाणा सरकार

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या........................

तारीख..........................

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम...

श्री...(आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री ....निवासी....................................... को..पते पर स्थित कार्यालय से ....जिले/राज्य जो (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन के लिए ....राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है ।

जारी करने का स्थानः...

जारी करने की तिथिः ....

यह अनुज्ञप्ति ....तक वैध हैं ।

हस्ताक्षर

अनुदत्त प्राधिकारी का नाम,

पदनाम

कार्यालय का पता

नवीकरण

(देखिए नियम 5(4))

क्रम संख्या	नवीकरण की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....

हस्ताक्षर

नवीकरण प्राधिकारी का नाम,

पदनाम

कार्यालय का पता

प्ररूप V

[देखिए नियम 7(2)]

सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

आवेदक के हस्ताक्षर..

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्ररूप संख्या	चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता	तिथि

फीस राशि रु. .... नकद/डिमांड ड्राफ्ट .... बैंक का नाम..

..................................डिमांड ड्राफ्ट संख्या ....जारी करने की तिथि ....

(सावधानः कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें । प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से अभ्यर्थी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में नियोजन/काम पर लगाने के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।)

1. आवेदक का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

   अंतिम नाम..प्रथम नाम..

2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है, तो पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें।
3. लिंग (पुरुष/महिला)..
4. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)................................
5. आधार संख्या ....
6. जन्म का स्थान ग्राम/नगर..जिला...................................देश और राज्य..................................
7. पिता का पूरा नाम/विधि संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)....................

   ....

8. माता का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) ....
9. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) ....

   ....

10. वर्तमान आवासीय पता, गली, सड़क संख्या/पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)....................

    ....

    दूरभाष नम्बर .... /मोबाइल नम्बर ....

11. कृपया उपर्युक्त उल्लिखित पते पर किस तिथि से निवास कर रहे हैं: दिन/माह/वर्ष ....
12. स्थायी पता गली नम्बर/पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड सहित)...

    ....

13. यदि आपने खाना (10) में दिए गए पते पर लगातार पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है, तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए ।

    दिनांक.............................से ....तक पता

    ....से ....तक ....

    ....से ....तक ....

14. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिए:

....

15. अन्य ब्यौरेः–

(क) शैक्षिक अर्हताएं

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हों, तो नियोक्ता का नाम और पता ....

(ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण ....

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह...

(ड.) कद (सेंटी.मीटर.)...

(च) अधिनियम की धारा 10(1) और (2) के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ–पत्र संलग्न करेः हां/नहीं

16. क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/वैधानिक निकाय में सेवारत हैं। हां/नहीं

17. क्या आप जन्म/विरासत/पंजीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं?: यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें ....

18. क्या आपको भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया हैं? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए) ....

19. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए ....

....

20. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोर्ट वारंट या उपस्थिति के लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने को प्रतिषेध करने का आदेश जारी किया गया है?: यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए...

21. स्वतः घोषणाः–

मेरे द्वारा इस प्ररूप और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

22. अंगुलियों के निशानः

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक.......................................

स्थान ....

संलग्नक

....

....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप VI

[देखिए नियम 7(2)]

शपथपत्र

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री. / सुश्री .... निवासी .... (आवासीय पता) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मैसर्स ....(फर्म / अभिकरण / कंपनी का नाम) स्थित .... (फर्म / अभिकरण / कंपनी का पता) में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के रूप में नियोजन के लिए स्वयं प्रस्थापना करता हूँ । मैं, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूँ –

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ ।
2. यह कि मैने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है । मेरी जन्म तिथि .... है ।
3. यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है ।
4. यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संगठन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर पदच्युत या हटाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन : मैं, इसके द्वारा, दिनांक .... को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि इस शपथपत्र में ऊपर दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही हैं और इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

टिप्पण : प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005, (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 10 (2) के उपबंध, अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथपत्र के पिछले भाग पर मुद्रित किए जा सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैः

"धारा 10.– प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हताएं ।

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है या संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, को प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"

प्ररूप VII

[देखिए नियम 7(6)]

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाणपत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के नियमों में सम्मिलित किए गए उपबंधों के अधीन जारी किया गया है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... पुत्र/पुत्री .... जिसका ब्यौरें निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं, और पिछले एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहा है।

जन्म तिथि : ....

जन्म स्थान : ....

शैक्षिक अर्हता : ....

व्यवसाय : ....

वर्तमान पताः ....

स्थायी पता : ....

यह प्रमाणपत्र, ... (प्रमाणपत्र के स्रोत) के आधार पर जारी किया गया है और जारी करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध होगा ।

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

पता/दूरभाष नम्बरः

जारी करने की तिथि :

प्ररूप VIII

[देखिए नियम 8(4)]

प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र

क्रम संख्या ....

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम...

प्रशिक्षण अभिकरण का पता ....

प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता संख्या...

[इस अभिकरण की मान्यता दिनांक .... तक वैध है,]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... ने ....से .... तक राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचा (एन एस क्यू एफ) के मानक अनुसार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति या काम पर रखे जाने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ।

उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं ।

प्रमाण–पत्रधारक के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

जारी करने का स्थान :

जारी करने की तिथि :

प्ररूप IX

(नियम 11 देखिए)

अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील

अपीलकर्ता.. पुत्र:पुत्री ....

निवासी ....

बनाम

नियंत्रक प्राधिकारी..

....

दिनांक .... के .... (नियंत्रक प्राधिकारी के) के आदेश, और ....

.... (प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम) के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति अस्वीकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध, उपर्युक्त अपीलकर्ता .... (राज्य के गृह सचिव) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं ।

1...

2...

3...

4...

संलग्नक दस्तावेजों की सूचीः

....

....

हस्ताक्षर

अपीलकर्ता का नाम तथा पदनाम

दिनांक :

स्थान :

प्ररूप X

(नियम 12 देखिए)

विशिष्टियां–रजिस्टर

(रजिस्टर–क प्रबंधन विवरण)

क्रम संख्या	अभिकरण का प्रबंध करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम	माता–पिता/पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तिथि

(रजिस्टर–ख प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्रम संख्या	गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तिथि	स्थायी पता	फोटोग्राफ	अंगुलियों के निशान	कर्मचारी संख्या	तिथि सहित वेतन, ईएसआई, ईपीएफ संख्यांए और बैंक/शाखा जिसके माध्यम से संदत्त है ।

(रजिस्टर–ग ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम और फोन नंबर	स्थान का नाम, जहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारंभ करने की तिथि	सेवा समाप्त की तिथि

(रजिस्टर–घ ड्यूटी रोस्टर)

क्रम संख्या	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र/गोला–बारूद उपलब्ध कराए गए हैं	ड्यूटी प्रारंभ करने की तिथि और समय	ड्यूटी समाप्त करने की तिथि और समय

प्ररूप XI

[देखिए नियम 13(1)]

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो/पहचान–पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान–पत्र संख्या...

नाम..

कार्यालय पदनाम...

कर्मचारी संख्या...

रक्त समूह...

जारी करने की तिथि ....तक वैध है।

पहचान–पत्र धारक के हस्ताक्षर...

रंगीन फोटो

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

[फा.सं. ––––––––– ,]

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।